पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)
आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 73 (सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 17.08.2015, द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–117–पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष–0002–दुधारू पशुओं का बदलाव, विपत्र कोड–N. 2245021170002 मद् में 32,800.00 (बत्तीस हजार आठ सौ) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में संबंधित कोषागार से निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या–39) (लघु शीर्ष–117 पशुधन के क्रय लिए किसानों को सहायता)
उपशीर्ष– 0002–दुधारू पशुओं का बदलाव।
यूनिट कोड– 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

(लाख रूप्ये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01	**अंचल अधिकारी, सम्पतचक**	**00.00**	**32800.00**	**32800.00**
	कुल उपावंटित राशि :–	**00.00**	**32800.00**	**32800.00**

1. यह आवंटन स्वीकृत अभिलेख सं0– 02/14–15 एवं 06/14–15 मदन राय पिता– दिवाली राय, सार्किन– बैरिया, थाना– गोपालपुर, अंचल– सम्पतचक एवं भगवान राय पिता– स्व0 वासुदेव राय, साकिन– गौरीचक, थाना– गौरीचक, अंचल– सम्पतचक को अग्नि से हुई दुधारू गाय की मृत्यु के अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु उपावंटित किया जा रहा है।
2. इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–117–पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उप शीर्ष–0002–दुधारू पशुओं का बदलाव, विपत्र कोड–N. 2245021170002 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपावंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्नि से मृत पशुओं के पशुपालकों को अनुग्रह अनुदान भुगतान मद् में किया जायेगा।
4. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति/उपयोगिता प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को शीघ्र भेज दिया जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया ज़ाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-06/14-15 1098 /आ०प्र०, दिनांक 21/12/15

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, सम्पतचक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

19/12/15
जिला पदाधिकारी,
पटना।